डा. सुजाता गुप्ता
पत्र - ६, स्नातक डिग्री-३

राष्ट्रभाषा और राजभाषा में निम्नलिखित अंतर हैं :—

(1) राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र के अधिकांश जन-सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। आम लोग जिस भाषा में आपसी बातचीत, विचार-विमर्श और लोक-व्यवहार करते हैं, वही राष्ट्रभाषा है।

दूसरी ओर राजभाषा का प्रयोग प्राय: राजकीय, प्रशासनिक तथा सरकारी-अर्द्धसरकारी, कर्मचारियों-अधिकारियों द्वारा होता है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है।

(2) राष्ट्रभाषा का शब्द-भंडार देश की विभिन्न बोलियों, उपभाषाओं आदि से समृद्ध होता है। उसमें लोक-प्रयोग के अनुसार नई शब्दावली जुड़ती चली जाती है। जबकि राजभाषा का शब्द-भंडार एक सुनिश्चित साँचे में ढला है और प्रयोजन विशेष के लिए निर्धारित प्रयुक्तियों तक ही सीमित होता है।

(3) राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा है।

(4) राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक रूप से उन्मुक्त और स्वच्छंद शैली में होता है। राजभाषा औपचारिकता की मर्यादा-सीमाओं में बंधी रहती है। उसमें मानव-सुलभ सहजता, उन्मुक्तता या स्वच्छंद कल्पना के लिए विशेष स्थान नहीं। निर्धारित और मानक-रूप में मान्य भाषा-प्रयोग की नियमावली का अनुसरण राजभाषा में आवश्यक है।

(5) राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। समूचे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म और समाज, संबंधी धारणाएँ जीवन के विविधतापूर्ण व्यावहारिक पहलू, लौकिक-आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, निजी और सामूहिक सुख-दुख के भाव लोक-नीति संबंधी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के

माध्यम से ही साकार होते हैं।

राजभाषा की प्रकृति इससे भिन्न है। वह वैधानिक आवरण धारण किए रहती है। उसमें अधिकतर प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियम-विधान, विधि-निषेध एवं इनसे संबंधित विवेचन-विश्लेषण किया जाता है।

(6) राष्ट्रभाषा राष्ट्र के समस्त सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, सांस्कृतिक केंद्रों, सभास्थलों, गली-मुहल्लों, हाट-बाजारों, मेलों, उत्सवों, में प्रयुक्त होती है, जबकि राजभाषा का प्रयोग-क्षेत्र कार्यालयों की चार-दीवारी तक सीमित है।

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा तो एक विशाल उद्यान है, जबकि राजभाषा उसी विशाल उद्यान से चुने हुए एक विशेष प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है। दोनों का अपना-अपना महत्व और वैशिष्ट्य असंदिग्ध है।